


09
22/09

पत्रावली पेश की। ^{लवाण} प्रार्थी श्री ओर से मोई उपस्थित
नहीं होने पर बार-बार आज्ञा लगाने के
बावजूद प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिमत्या अनुपस्थित
रहे। प्रार्थी एवं अधिमत्या अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
आदि को अपने-पलाने के प्रति जम्हीर नहीं
होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना अतिरिक्त अल्प
द्वजरी एवं अल्प पेशी में धारित किया जाता
है। निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को सुले
-मायकम में सुनाया गया। पत्रावली केवल सुभाह
वेकट बाद वेकट भण्डार है।


उप जिला कलकत्ता
लवाण